उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–05/2014–15

सरकार

बनाम्

राज किशोर भगत

–: आदेश :–

दिनांक 20/12/23

वर्तमान अपील वाद अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के मुटेशन केश नं0–144/1994–95 में दिनांक–17.11.1995 के पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के मुटेशन केश नं0–144/1994–95 के आदेश दिनांक –17.11.1995 के द्वारा मौजा–बसुआ के खाता नं0–8, दाग नं0–32 रकवा 00–06–00 धुर जमीन का नामान्तरण उत्तरवादी राजकिशोर भगत, पिता– नेतलाल भगत, सा0–महागामा, अंचल–महागामा, जिला–गोड्डा के नाम से किया गया है।

विद्वान सरकारी वकील एवं उत्तरवादी राजकिशोर भगत के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

विज्ञ सरकारी वकील का कथन है कि मामला मौजा–बसुआ नं0–692, खाता नं0–8, दाग नं0–6 रकवा 00–06–00 धुर जमीन के नामान्तरण से संबंधित है। उक्त जमीन का नामान्तरण अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा अंचल अधिकारी, महागामा के ज्ञापांक–481/रा0 दिनांक–22.08.1994 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर उत्तरवादी के नाम किया गया है। उक्त प्रतिवेदन में उक्त जमीन को बसौड़ी जमीन दर्शाया गया है एवं उक्त जमीन केवाला दस्तावेज सं0–1075 दिनांक–10.08.94 एवं 662 दिनांक–13.07.94 से उत्तरवादी को प्राप्त है, दर्शाया गया है। लेकिन उक्त दाग नं0–32 की जमीन गैर मजरूआ खाता की जमीन है एवं खाता नं0–24 का हिस्सा है। दाग नं0–32, खाता नं0–8 का हिस्सा नहीं है। बल्कि खाता नं0–8 में केवल एक दाग नं0–70 मौजूद है, जिसका रकवा मात्र 00–01–00 धुर है एवं उक्त जमाबंदी सं0–8 की जमीन नारायण पाठक के नाम से दर्ज है। उत्तरवादी ने तथ्यों को छिपाते हुए उक्त दाग नं0–32 को बसौड़ी जमीन बताकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपने नाम से नामांतरण करा लिया है। इसके अलावे उत्तरवादी ने अपने एवं अपनी पत्नि तथा पुत्रों के नाम से भी फर्जी तरीके से जमीन प्राप्त किया है, जो इस प्रकार है :–

(i) मौजा–बसुआ नं0–692, खाता नं0–29, दाग नं0–32 रकवा 00–03–00 धुर जमीन, जो नामांतरण वाद सं0–82/85–86 के द्वारा उत्तरवादी राजकिशोर भगत के नाम से नामांतरण किया गया है।

(ii) मौजा–बसुआ नं0–692, खाता नं0–6 रकवा 00–01–10 धुर जमीन नामांतरण वाद सं0–19/02–03 के द्वारा उत्तरवादी के पुत्र आनंद कुमार के नाम से नामांतरण किया गया है।

(iii) मौजा–बसुआ नं0–692, खाता नं0–6 रकवा 00–01–10 धुर जमीन नामांतरण वाद सं0–20/02–03 के द्वारा उत्तरवादी के पुत्र आलोक के नाम से नामांतरण किया गया है।

(iv) मौजा–बसुआ नं0–692, खाता नं0–10 रकवा 00–01–10 धुर जमीन नामांतरण वाद सं0–22/02–03 के द्वारा उत्तरवादी के नाम से नामांतरण किया गया है।

(v) मौजा–बसुआ नं0–692, खाता नं0–10 रकवा 00–01–10 धुर जमीन नामांतरण वाद सं0–21/02–03 के द्वारा उत्तरवादी के नाम से नामांतरण किया गया है।

(vi) मौजा–692 खाता नं0–24 दाग नं0–32 रकवा 00–14–00 धुर जमीन बंदोवस्ती केश नं0–15/97–98 के द्वारा गीता देवी, पति–राजकिशोर भगत के नाम से बंदोवस्ती की गयी है।

इस प्रकार उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता को मामले का जानकारी प्राप्त होने पर आदेश का प्रतिलिपि प्राप्त कर अपील वाद दायर किया है एवं अपील आवेदन के साथ अपील के काल अवधि को क्षान्त करने के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत आवेदन किया गया है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश निरस्त करने योग्य है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के नामांतरण वाद सं0–144/1994–95 में दिनांक–17.11.1995 के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वर्तमान अपील अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के मुटेशन केश नं0–144/94–95 के आदेश दिनांक–17.11.95 के विरूद्ध संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 57 के तहत दायर किया गया है, जो संथाल परगना कश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 57 के

तहत दायर नहीं किया जा सकता है। क्योंकि नामांतरण संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 57 के तहत राजस्व कार्यवाही नहीं है। बिहार सरकार के राजस्व विभाग के पत्रांक–3779/एल0 आर0 दिनांक–23.10.1952 के द्वारा भी बिहार राज्य के सभी अंचल अधिकारी को निर्देश जारी किया गया है कि नामांतरण आदेश के विरूद्ध कोई पक्ष असंतुष्ट होगा, तो अंचल अधिकारी के आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय में अपील आदेश की तिथि से एक महिने के भीतर दायर कर सकते है। यह अपील वाद संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 57 के प्रावधानों के परे है। चूँकि संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 57 के अनुसार उपसमाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष एवं अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध उपायुक्त एवं अपर उपायुक्त के न्यायालय में एवं उपायुक्त एवं अपर उपायुक्त के आदेश के विरूद्ध आयुक्त के न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। इसके अलावे सरकारी वकील को अपील दायर करने का हक नहीं है। इसलिए वर्तमान अपील पोषणीय योग्य नहीं है। उनका आगे कथन है कि मौजा–बसुआ के दाग नं0–32 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में अनाबादी खाता के अन्तर्गत परती कदीम के रूप में दर्ज है। लेकिन रिकॉर्ड ऑफ राइटस के उपधारा–III के अनुसार जमीनंदार को गाँव के जमाबंदी एवं अनुपयुक्त जमीन को बसौड़ी जमीन में परिवर्तित करने का अधिकार प्राप्त था। इसलिए तत्कालीन जमीनंदार बंशीधर ने उक्त जमीन को बसौड़ी जमीन में परिवर्तित कर चुन्नीलाल मोदी के नाम से बसौड़ी जमीन के रूप में बंदोवस्त किया था एवं जमीनंदार बंशीधर ने राजस्व समाहर्त्ता के न्यायालय में दाखिल जमीनंदारी रिटर्न में उक्त बंदोवस्ती के संबंध में दर्शाया है एवं रिविजन सर्वे के दौरान श्री जे0एफ0 गेंजर के अंतिम रिपोर्ट के पैरा 30(c) के अनुसार बसौड़ी जमीन हस्तान्तरीय है। उक्त जमीन बसौड़ी जमीन में परिवर्तित होने के बाद उक्त जमीन का मूल खाता सं0–24 से परिवर्तित होकर खाता सं0–08 बनाया गया। बाद में चुन्नीलाल मोदी से उक्त जमीन केवाला दस्तावेज सं0–1075 क्र0–1140 दिनांक–09.02.1994 एवं केवाला दस्तावेज सं0–772 क्र0–823 दिनांक–02.06.1994 के द्वारा उत्तरवादी ने उप निबंधक कार्यालय, गोड्डा के कार्यालय के द्वारा क्रय किया। इसके बाद उत्तरवादी ने उक्त जमीन पर मकान का निर्माण किया एवं अपने नाम से उक्त जमीन का

नामांतरण करने के लिए आवेदन दाखिल किया गया। अंचल अधिकारी, महागामा से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद मौजा–सौलह आना रैयतों को नोटिश निर्गत किया गया एवं नामांतरण के विरूद्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उत्तरवादी के नाम से नामांतरण किया गया है। उनका आगे कथन है कि वर्तमान अपील 20 वर्ष के बाद दायर किया गया। जबकि मुटेशन मैनुअल के अनुसार 30 दिन के अंदर अपील दाखिल करना है। इस प्रकार अपीलकर्त्ता के अपील के आधार पर कोई योग्यता नहीं। इसलिए अपील खारिज करने योग्य है। उन्होंने अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, महागामा के पत्रांक–46/रा0 दिनांक–05.02.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया है कि मौजा–बसुआ नं0–692 खाता सं0–24 के अन्तर्गत दाग नं0–32 कुल खतियानी रकवा 169–05–12 धुर किस्म परती कदीम खतियान में दर्ज है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के मुटेशन केश नं0–144/94–95 राजकिशोर भगत बनाम् रैयान मौजा–बसुआ आदेश दिनांक–17.11.1994 के माध्यम से मौजा–बसुआ के खाता सं0–08 दाग नं0–32 रकवा 00–06–00 धुर का नामांतरण किया गया है। जबकि खतियान के अनुसार दाग नं0–32 का वास्तविक खाता सं0–24 है। उनका आगे प्रतिवेदन है कि दाखिल खारिज वाद सं0–19/02–03 मौजा–बसुआ नं0–692 खाता सं0–6/क, दाग नं0–32 के अंदर रकवा 00–01–10 धुर भूमि अंचल अधिकारी, महागामा के द्वारा दिनांक–26.11.2002 को केवाला सं0–129 दिनांक–11.03.99 के आधार पर दाखिल खारिज आनंद कुमार, पिता–राजकिशोर भगत, सा0–बसुआ स्वीकृत किया गया है, जबकि खतियान के अनुसार दाग नं0–32 गैरमजरूआ खाता सं0–24 के अन्तर्गत है। दाखिल खारिज वाद सं0–20/02–03 मौजा–बसुआ नं0–692, खाता सं0–6/ख, दाग नं0–32 के अन्दर रकवा 00–01–10 धुर जमीन अंचल अधिकारी, महागामा के द्वारा दिनांक–26.11.2002 को केवाला सं0–128 दिनांक–11.03.99 के आधार पर दाखिल खारिज राजकिशोर भगत, पिता–नेतलाल भगत, सा0–बसुआ स्वीकृत किया गया है, जबकि खतियान के अनुसार दाग नं0–32 गैरमजरूआ खाता सं0–24 के अन्तर्गत है। दाखिल खारिज वाद सं0– 21/02–03 मौजा–बसुआ नं0–692 खाता सं0–10/ख, दाग नं0–32 के अन्दर रकवा 00–01–10 धुर जमीन अंचल अधिकारी, महागामा के द्वारा

दिनांक–26.11.2002 को केवाला सं0–128 दिनांक–11.03.99 के आधार पर दाखिल खारिज राजकिशोर भगत, पिता–नेतलाल भगत, सा0–बसुआ स्वीकृत किया गया है, जबकि खतियान के अनुसार दाग नं0–32 गैरमजरूआ खाता सं0–24 के अन्तर्गत है। दाखिल खारिज वाद सं0–22/02–03 मौजा–बसुआ नं0–692, खाता सं0–10क, दाग नं0–32 के अंदर रकवा 00–01–10 धुर जमीन अंचल अधिकारी, महागामा के द्वारा दिनांक–26.11.2002 को केवाला सं0–127 दिनांक–11.03.99 के आधार पर दाखिल खारिज गीता देवी, पति–राजकिशोर भगत, सा0–बसुआ स्वीकृत किया गया है, जबकि खतियान के अनुसार दाग नं0–32 गैरमजरूआ खाता सं0–24 के अन्तर्गत है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोवस्ती वाद सं0–15/1997–98 आदेश दिनांक–07.06.1997 के द्वारा मौजा–बसुआ नं0–692 गैरमजरूआ खाता सं0–24, दाग नं0–32 के अंदर 00–14–00 धुर जमीन गीता देवी, पिता–शंकर भगत के साथ बंदोवस्त किया गया है। पंजी–2 के पेज सं0–55 में जमाबंदी सं0–24/घ, दाग नं0–32 अंश रकवा 00–14–00 धुर गीता देवी, पिता–शंकर भगत के नाम से जमाबंदी कायम किया गया है। उपायुक्त, गोड्डा के आर0एम0ए0 केश नं0–16/2000 में इस कार्यालय के पत्रांक–02(मु0) दिनांक–22.07.2000 के द्वारा बंदोवस्ती को रद्द करने के लिए अनुरोध किया गया था। उपायुक्त, गोड्डा के द्वारा दिनांक–16.01.2002 को पारित आदेश में अंचल अधिकारी, महागामा के प्रतिवेदन को अमान्य करते हुए संचिकास्त किया गया एवं इसकी सूचना निम्न न्यायालय एवं राजस्व अधिकारी को प्रेषित करने का आदेश दिया गया है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में राजस्व विविध वाद सं0–02/2002–03 चतुरी रविदास वगैरह बनाम् गीता देवी लाया गया था, जिसके आदेश दिनांक–06.11.2004 के आधार पर चतुरी रविदास वगैरह बनाम् गीता देवी के आवेदन को रद्द किया गया था एवं थाना प्रभारी/अंचल अधिकारी, महागामा को विपक्षी गीता देवी को दखल दिलाने का आदेश दिया गया था। गीता देवी के द्वारा प्रश्नगत बंदोवस्ती जमीन में कमरा एवं चाहरदिवारी का निर्माण कराया गया है एवं उक्त जमीन में साग–शब्जी एवं फलदार वृक्ष लगा हुआ है।

उपरोक्त तथ्यों, जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–बसुआ नं0–692 खाता नं0–24 के अन्तर्गत दाग नं0–32 कुल रकवा 169–05–12 धुर जमीन किस्म परती

कदीम के रूप में खतियान में दर्ज है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के म्युटेशन केश नं0–144/1994–95 (राजकिशोर भगत बनाम् रैयान मौजा–बसुआ) के आदेश दिनांक–17.11.95 के द्वारा मौजा–बसुआ के खाता नं0–08, दाग नं0–32 रकवा 00–06–00 धुर जमीन उत्तरवादी राजकिशोर भगत के नाम से नामांतरण किया गया है। उक्त जमीन उत्तरवादी के द्वारा केवाला दस्तावेज सं0–1075 दिनांक–10.08.94 एवं 662 दिनांक –13.07.94 के द्वारा प्राप्त करने का दावा किया गया है। लेकिन यह स्पष्ट है कि खतियान के अनुसार उक्त जमीन गैरमजरूआ खाता के अन्तर्गत की परती कदीम जमीन, जिसका खाता सं0–24 है एवं बसौड़ी जमीन में परिवर्तित करने संबंधी कोई भी साक्ष्य जनित कागजात उत्तरवादी के द्वारा दाखिल नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उत्तरवादी के नाम से केवाला दस्तावेज के आधार पर नामांतरण करना नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के मुटेशन केश नं0–144/94–95 के आदेश दिनांक–17.11.95 को निरस्त किया जाता है। पंजी–2 में सुधार हेतु आदेश की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा एवं अंचल अधिकारी, महागामा को दें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2024.06.27 16:16:47 +05:30
Location: 192.168.1.50